न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
205/2014	04–07–2014	05/07/2022

उनवान

01. मैसर्स त्रेहान होम्स डवलपर्स प्रा0लि0 जरिये निदेशक अशोक पुत्र सोहनलाल सैनी निवासी मीणा धर्मशाला के पीछे नया बास अलवर जिला अलवर (राज0)

----:: वादी

बनाम

01. बिमला कुमारी पुत्री चोखराम जाति चमार निवासी हुसींगपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. शिक्षा कुमारी पुत्री चोखराम जाति चमार निवासी हुंसीगपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
03. तहसीलदार महोदय जरिये असल लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

----:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मदम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खाता संख्या 39 हाल आराजी खसरा नम्बर 98 रकबा 0.39 ऐयर एवं खाता संख्या 40 आराजी हाल खसरा नं0 100 रकबा 0.14 ऐयर, 174 रकबा 0.44 ऐयर, 179 रकबा 0.22 कुल किता 3 कुल रकबा 0.80 ऐयर, खाता संख्या 41 हाल खसरा नं0 102 रकबा 0.10 ऐयर वाके ग्राम हुसींगपुर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है जो इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 उपस्थित, प्रतिवादी 1 व 2 की ओर से जबाब दावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 3 व 4 अनुपस्थित रहे। उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में पेश राजस्व रिकार्ड को ही साक्ष्य के रूप में माने जाने की प्रार्थना की गई साक्ष्य कराने के लिए इनकार किया। वाद में दिनांक 22.12.2014 को प्राथमिक डिकी पारित कर तहसीलदार तिजारा को मोका कमिश्नर नियुक्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस की कुर्रे रिपोर्ट तलब की गई है। वादी द्वारा बटवारा स्कीम रिर्पोट प्राप्त होने के उपरान्त आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया है कि वाद की उल्लेखित आराजी में से खसरा नम्बर 179 को छोडकर डिकी कराना चाहता है, प्रस्तुत प्रा0 पत्र वादी उक्त खसरे को वाद से पृथक करने का स्वीकार है हमने प्राप्त तकासमा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिस पर पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित है। बंटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी का विभाजन मुताबिक कुर्रेजात पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार किया गया जो राजस्थान काश्तकारी (रेवेन्यू बोर्ड) नियम 1955 के नियम 18–21 के अनुरूप है। फलस्वरूप वाद वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अंतिम डिकी किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

...ली में दिनांक 09.01.2015 को फाईनल डिक्री पारित की गई थी। उक्त निर्णय की अपील न्यायालय ...धिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर में प्रतिवादीगण द्वारा की गई जिसमें न्यायालय द्वारा ... डिक्री दिनांक 07.10.2015 पारित की गई थी। जिसकी अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान ...में की गई जिसके निर्णय दिनांक 26.09.2017 को पारित किया जाकर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं ...राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.10.2015 एवं उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा ... निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.01.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी तिजारा को इस ...श के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि वे विवादित आराजी के सभी सहखातेदारान को मूल वाद में पक्षकार ...नाते हुए एवं दोनो पक्षों की सुनवाई व साक्ष्य लेते हुए पुनः गुणवगण पर निर्णय पारित करें।

तत्पश्चात वादी कम्पनी मैसर्स त्रेहान होम्स डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1 नियम 10 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया है कि उक्त मुकदमा में वादी हरिसिंह, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 राकेश व सूरजप्रसाद बैरवा ने अपना हिस्सा मैसर्स त्रैहान होम्स डवलपर्स प्रा0लि0 के हित में परित्याग कर मैसर्स त्रेहान होम्स डवलपर्स प्रा0लि0 के हक में पट्टा जारी करा दिया है। इसलिए वादी हरिसिंह व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 राकेश व सूरजप्रसाद बैरवा का नाम हजफ कर मैसर्स त्रेहान होम्स डवलपर्स प्रा0लि0 को वादी की जद में पक्षकार बनाया जाकर पैरवी करने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें ताकि आप न्यायालय श्रीमान् को असलियत रोशन होगी व प्रकरण के न्याय निर्णय करने में आसानी होगी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1 नियम 10 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम हजफ कर वादी की जद में मैसर्स त्रेहान होम्स डवलपर्स प्रा0लि0 को पक्षकार बनाया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बिमला कुमारी व शिक्षा कुमारी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि उक्त वाद में आप श्रीमान् द्वारा दिनांक 09.01.2015 को जो निर्णय पारित किया गया था, प्रतिवादीगण उसी निर्णय से सहमत है एवं उक्त वाद में आगे पैरवी नहीं करना चाहते है। प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आप श्रीमान् द्वारा विगत में जो डिक्री पारित की गई थी, उसे यथावत कायम रखी जाकर उक्त वाद को फैसल किये जाने की कृपा करें।

वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त आराजी में वादी कम्पनी के हिस्से की भूमि को वादी कम्पनी ने नगर विकास न्यास भिवाडी के यहां कनवर्ट करा लिया है। वादी कम्पनी के हिस्से की भूमि को छोडकर वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का मुताबिक जमाबन्दी खातेदार की भूमि है। उक्त वाद में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का मुताबिक हिस्से की डिक्री विभाजन पारित कर दी जाती है तो वादी कम्पनी को कोई ऐतराज नहीं है।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। मुताबिक प्रार्थना पत्र वादी एवं प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का अवलोकन किया गया। मुताबिक पक्षकारान वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट फाइनल डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 39 हाल आराजी खसरा नम्बर 98 रकबा 0.39 ऐयर एवं खाता संख्या 40 आराजी हाल खसरा नं0 100 रकबा 0.14 ऐयर, 174 रकबा 0.44 ऐयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.58 ऐयर, खाता संख्या 41 हाल खसरा नं0 102 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

ग्राम हुसैंगपुर तहसील तिजारा जिला अलवर का वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के म[illegible]
...रान के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:–

	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	वि. वि.
	...सर्स त्रेहान होम्स डवलपर्स प्रा0लि0 जरिये निदेशक अशोक पुत्र सोहनलाल सैनी निवासी मीणा धर्मशाला के पीछे नया बास अलवर जिला अलवर (राज0)	98/1 102 100 174/4 किता 4	0.2828 0.1000 0.1400 0.0325 0.5553	वी2 चा.सो. चा.सो. चा.सो.	1.10 1.19 1.88 0.03	
02.	मैसर्स त्रेहान होम्स डवलपर्स प्रा0लि0 जरिये निदेशक अशोक पुत्र सोहनलाल सैनी निवासी मीणा धर्मशाला के पीछे नया बास अलवर जिला अलवर (राज0)	174/2	0.051	चा.सो.	0.06	
03.	मैसर्स त्रेहान होम्स डवलपर्स प्रा0लि0 जरिये निदेशक अशोक पुत्र सोहनलाल सैनी निवासी मीणा धर्मशाला के पीछे नया बास अलवर जिला अलवर (राज0)	174/3	0.2594	चा.सो.	0.30	
04.	शिक्षा कुमारी पुत्री चोखराम जाति चमार	174/1	0.0971	चा.सो.	0.09	
05.	बिमला कुमारी पुत्री चोखराम जाति चमार	98/2	0.1071	वी2	0.38	

विवादित आराजी के लगान पर नियमानुसार डिक्री जारी होवे। कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस डिक्री का जूज रहेगा।

विशेष कथन – मैसर्स त्रेहान होम्स डवलपर्स प्रा0लि0 जरिये निदेशक अशोक पुत्र सोहनलाल सैनी निवासी मीणा धर्मशाला के पीछे नया बास अलवर जिला अलवर (राज0) के पक्ष में आये हुये खसरा नम्बर हाल नगर विकास न्याय भिवाडी के नाम दर्ज होकर वादी कम्पनी को पट्टा जारी किया हुआ है। ऐसी स्थिति में मैसर्स त्रेहान होम्स डवलपर्स प्रा0लि0 जरिये निदेशक अशोक पुत्र सोहनलाल सैनी निवासी मीणा धर्मशाला के पीछे नया बास अलवर जिला अलवर (राज0) के हिस्से को छोडते हुये राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें व प्रतिवादीगण संख्या 1 के खसरा नम्बर 98/2 रकबा 0.1071 है0 का हाल खसरा नम्बर 392/98 रकबा 0.1071 है0 दर्ज रिकार्ड है एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 के खसरा नम्बर 174/1 रकबा 0.0971 है0 का हाल खसरा नम्बर 393/174 रकबा 0.0971 दर्ज रिकार्ड है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हाल खसरा नम्बरान पर ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में डिकी का नोट अंकित किया जावें। पर्चा डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)